विधान सभा, दिल्ली
Legislative Assembly, Delhi

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नियम समिति
RULES COMMITTEE

छठी विधान सभा का प्रथम प्रतिवेदन
FIRST REPORT OF THE SIXTH ASSEMBLY

9 जून, 2016 को प्रस्तुत

PRESENTED ON 9 JUNE, 2016

विषय सूची

1. समिति का गठन — पृष्ठ–1
2. प्रस्तावना — पृष्ठ–3
3. समिति का प्रतिवेदन — पृष्ठ–5

INDEX

1 Composition of the Committee — Page 2

2 Preface — Page 4

3 Report of the Committee — Page 6

समिति का गठन

1.	श्री राम निवास गोयल, अध्यक्ष महोदय	सभापति
2.	सुश्री अलका लाम्बा	सदस्य
3.	सुश्री भावना गौड	सदस्य
4.	श्री गिरीश सोनी	सदस्य
5.	श्री जगदीप सिंह	सदस्य
6.	श्री जगदीश प्रधान	सदस्य
7.	श्री सोमनाथ भारती	सदस्य
8.	श्री विशेष रवि	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा	सचिव
2.	श्री सी0 वेलमुरूगन	उप–सचिव

Composition of the Committee

1	Shri Ram Niwas Goel Hon'ble Speaker	Chairman
2	Ms. Alka Lamba	Member
3	Ms. Bhawna Gaur	Member
4	Shri Girish Soni	Member
5	Shri Jagdeep Singh	Member
6	Shri Jagdish Pradhan	Member
7	Shri Somnath Bharti	Member
8	Shri Vishesh Ravi	Member

Secretariat:

1	Shri Prasanna Kumar Suryadevara	Secretary
2	Shri C. Velmurugan	Deputy Secretary

प्रस्तावना

सामान्य प्रयोजन समिति ने अपनी दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में 'छात्र एवं युवा कल्याण समिति' का गठन किये जाने की अनुशंसा की । सचिवालय को शीघ्रातिशीघ्र यह विषय नियम समिति के सम्मुख रखने का निर्देश दिया गया ।

नियम समिति ने अपनी दिनांक 06.06.2016 को सम्पन्न बैठक में इस विषय पर विचार किया एवं प्रस्तावित समिति के लिए बनाए गए नियम प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। समिति के फाइनल रिपोर्ट को इसकी दिनांक 09.06.2016 को सम्पन्न बैठक में विचार एवं स्वीकार किया गया । समिति ने इसके प्रतिवेदन को दिनांक 09.06.2016 को सदन में प्रस्तुत करने हेतु सुश्री भावना गौड को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री सोमनाथ भारती को अधिकृत किया ।

(राम निवास गोयल) 09/06/2016
अध्यक्ष एवं सभापति

दिल्ली
09.06.2016

PREFACE

In its meeting held on 30.5.2016, the General Purposes Committee ;commended that a Committee on the Welfare of Students and Youth be constituted in the Legislative Assembly of NCT of Delhi. The Secretariat was directed to place the matter before the Rules Committee at the earliest.

The Rules Committee considered the matter in its meeting held on 6.6.2016 and approved the draft rules framed for the proposed committee. The final Report of the Committee was considered and adopted in its meeting held on 9.6.2016. The Committee authorised Ms. Bhawna Gaur or in her absence, Shri Somnath Bharti to present the Report to the House on 9.6.2016.

09/06/2016

(Ram Niwas Goel)
Speaker & Chairperson

Delhi.
9.6.2016

प्रतिवेदन

माननीय सदस्य श्री अजेश यादव, श्री राजेश गुप्ता तथा श्री सोमदत्त ने पत्र द्वारा अध्यक्ष महोदय से दिल्ली में छात्रों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार करने हेतु सदन की एक समिति गठित करने की प्रार्थना की । सामान्य प्रयोजन समिति ने अपनी दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न बैठक में इस सुझाव को स्वीकार किया एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में एक 'छात्र एवं युवा कल्याण समिति' के गठन की अनुशंसा की।

सामान्य प्रयोजन समिति ने यह भी अनुशंसा की कि प्रस्तावित छात्र एवं युवा कल्याण समिति के गठन हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में यथोचित संशोधन किए जायें।

नियम समिति ने अपनी दिनांक 06.06.2016 एवं 09.06.2016 को सम्पन्न बैठक में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया । समुचित विचार विमर्श के बाद समिति अनुशंसा करती है कि 'छात्र एवं युवा कल्याण समिति' के गठन हेतु नियमों में निम्नलिखित प्रावधानों को समाहित किया जाए

'छात्र एवं युवा कल्याण समिति'

233 (क) समिति का गठन :

'छात्र एवं युवा कल्याण समिति' के नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे ।

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरान्त मंत्री नियुक्त हो जाता है तो उसकी समिति की सदस्या ऐसी नियुक्ति की तिथि से समाप्त हो जाएगी ।

233 (ख) समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :–

(i) युवाओं एवं उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं के छात्रों की कल्याण योजनाओं एवं अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति एवं

REPORT

Hon'ble Members Shri Ajesh Yadav, Shri Rajesh Gupta and Shri Som Dutt submitted a request to the Speaker that a House Committee be constituted to consider various issues relating to students in Delhi. The General Purposes Committee in its meeting held on 30.5.2016 approved the suggestion and recommended that a Committee on Welfare of Students and Youth be constituted in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The General Purposes Committee also recommended that the Rules of Procedure and Conduct of Business be suitably amended to incorporate provisions for the proposed Committee on Welfare of Students and Youth.

The Rule Committee considered the proposal for amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in its meetings held on 6.6.2016 and 9.6.2016. After due deliberations the Committee recommends that the following provisions be inserted in the Rules for constitution of the Committee on the Welfare of Students and Youth:

"COMMITTEE ON THE WELFARE OF STUDENTS AND YOUTH

233 A Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Students and Youth nominated by the Speaker consisting of not more than nine members.

Provided that no Minister shall be nominated as a Member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

233 B Functions of the Committee

The Functions of the Committee shall be:-

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for students and youth and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview;

कार्यान्वयन की समीक्षा करना; तथा सरकार द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किए जाने वाले उपायों के बारे में सदन को सूचित करना,

(ii) कम से कम समय में छात्रों एवं युवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार की नीति के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने हेतु उपाय एवं युक्तियों का सुझाव देना,

(iii) छात्रों एवं युवाओं के कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर विभिन्न साझेदारों अथवा सामान्य जनता से प्राप्त अभिवेदनों की जांच करना एवं उन पर अपनी रिपोर्ट देना; और

(iv) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए गये अथवा ऐसे मामलों की जांच करना जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जायें।

स्पष्टीकरण

अभिवेदन अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित एवं किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए ।

09/06/2016

(राम निवास गोयल)
अध्यक्ष एवं सभापति

दिल्ली
09.06.2016

(ii) to suggest ways and means of realizing the objectives of Government policy to bring about improvement in the condition of the students and youth in the shortest possible time;

(iii) to examine and report upon representations received from various stakeholders or general public on matters connected with welfare of the students and youth; and

(iv) to examine such matters as the Committee may deem fit or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

Explanation.- Representations should be addressed to the Speaker and countersigned by a Member."

09/06/2016

(Ram Niwas Goel)
Speaker & Chairperson

Delhi.
9.6.2016